

No. 15/1/2025-Vig.
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Financial Services)
Vigilance Section

3rd Flood, Jeevan Deep Building
Sansad Marg, New Delhi 110001
Dated: June 22, 2026

To

Chairman, SBI, Mumbai
CEO & MD, LIC, Mumbai
MD & CEOs of the Nationalized Banks (PSBs)
ED, (Deptt of Administration & Personnel Management), RBI, Mumbai
NHB/IIFCL/IFCI Ltd./SIDBI/EXIM Bank/NABARD

Subject: Appointment to the posts of Chief Vigilance Officers (CVOs) in the Public Sector Banks, Public Sector Insurance Companies- reg.

Madam/Sir,

Applications are invited for filling up the posts of Chief Vigilance Officers (CVOs) in various Public Sector Banks (PSBs) and IDBI Bank Ltd., Public Sector Insurance Companies (PSICs) under Department of Financial Services and the details are given in following paragraphs.

2. Details of the tentative posts of CVOs that are likely to fall vacant in near future are tabulated as under:

Category of Organisations	S. No.	Name of Organisation	Location of CVO
Public Sector Banks (PSBs)	1.	Union Bank of India	Mumbai
	2.	Bank of Maharashtra	Pune
	3.	IDBI Bank Ltd.	Mumbai
Public Sector Insurance Companies (PSICs)	4.	Oriental Insurance Company Ltd. (OICL)	New Delhi

*However, vacancy position is tentative and could be amended/ added subsequently.

P.T.O.

3. Pay Scale/Perquisites admissible to CVOs for which applications are invited:

The CVOs posted in PSBs/PSICs/FIs shall draw their existing pay of their parent organisation plus deputation allowance thereon equal to 10% of their basic pay. They will be entitled to perquisites admissible to next higher position in borrowing organisation. However, CVO may choose to continue availing entitled perquisites admissible to them in the post held in parent organization, immediately before joining as CVO.

4. Eligibility:

(i) Eligibility criteria for appointment of CVO in PSBs -

- (a) Chief General Managers/General Managers of Public Sector Banks (including SBI);
- (b) Chief General Managers of RBI/ NABARD/ SIDBI/ EXIM Bank/ IIFCL;
- (c) Executive Directors in PSFIs;

having minimum 3 years of residual service, are eligible to apply for the post of CVOs in PSBs.

(ii) Eligibility criteria for appointment of CVO in PSICs -

- (a) Chief General Managers/General Managers of Public Sector Banks (including SBI);
- (b) Deputy General Managers, with three years' service experience as DGM, of Public Sector Banks (including SBI);
- (c) Chief General Managers of RBI/ NABARD/ SIDBI/ EXIM Bank/ IIFCL;
- (d) Executive Directors in PSFIs;
- (e) Executive Director/Zonal Manager in LIC;

having minimum 3 years of residual service, are eligible to apply for the post of CVOs in PSICs.

iii. The officers are not eligible to apply for the post of CVO in their parent organisation.

5. Selection Process:

Selection of the candidates for appointment to the post of CVO shall be made by the Government in consultation with CVC, on the basis of their record of service and interaction with the Selection Committee, for an initial period of three (03) years or till the age of superannuation or till further orders, whichever is earlier.

P.T.O.

6. Exercise of choice:

The candidates should specify the locations that they are applying for out of those listed at para 2 above and indicate an order of preference among the locations applied for. Candidate will be placed, to the extent possible, on the basis of merit and preference of the candidate. However, Government reserves the right to the final decision in the matter.

7. Forwarding of applications:

Respective organisations are requested to forward the applications of the willing officers along with their complete bio-data in the format enclosed, and attested copies of their Annual Performance Assessment Reports (APARs) for the last five years (complete in all respects) i.e. **from 2020-21 to 2024-25**, to this Department **on or before 20.07.2026**. Moreover, while forwarding the names of the willing officers, it may be ensured that:

- a) the services of the willing candidates can be spared for at least 03 years for taking up this assignment; and
- b) the applicant must have a minimum of 03 years of service remaining as on the last date of submission of applications i.e. 20.07.2026.
- c) the officer should not have any vigilance cases pending against them;
- d) the application of the officer who is under the period of debarment may not be forwarded to this Department;
- e) officers, against whom any major or minor penalty has been imposed in their career as a result of disciplinary proceedings, are not eligible to apply for the post of CVOs and thus, their applications may not be forwarded.

8. The applications of the candidates once forwarded for these posts will not be permitted to be withdrawn under any circumstances. Therefore, while forwarding the applications for consideration, an undertaking may be obtained from the applicants to the effect that under no circumstances, they would withdraw their candidature once a decision is taken to nominate them for the post of CVO. While forwarding the application for these posts, a copy of this undertaking should be enclosed along with other requisite documents.

9. In the event of selection of the officer for one of these posts, the concerned officer shall be given 15 days' time to join new post/assignment of CVO, from the date of receipt of the order. If no response is received after 15 days, or if the officer fails to report for the assignment at designated place by given date, the process of his/her debarment for deputation in any organisation for a period of 05 years shall be initiated by his/her parent organisation after issuing a notice to that effect to the officer concerned. The formats for application have been prescribed in Annexure [Form 1, 2, 3].

P.T.O.

10. The willing officers may send advance copy of their application in this regard to DFS for information by email at vigilance-dfs@nic.in. However, their candidature shall be considered only after receipt of the hard copies of the application through their official channel.

11. Hindi version will follow.

Encls: Prescribed Forms (03 Nos.)

Yours sincerely,



(**Sanjay Kumar Jha**)

Under Secretary to the Government of India

Email: sanjay.jha@nic.in

Tel: 011-23748709

Copy to: Director/NIC, with request to upload a copy of this circular on DFS website

Appointment to the posts of Chief Vigilance Officers (CVOs) in the Public Sector Banks, Public Sector Insurance Companies

Application Form

Photograph

1	Name of the Applicant				
2	Date of Birth				
3	Age as on the last date of application				
4	Date of Superannuation				
5	Present Post held				
6	Name of the Organization where posted				
7	Present Pay and Scale of Pay				
8	Details of Educational & Professional qualification (In chronological order)				PI add Annexure
	Year From	Year To	Course Name	Board/ College/ University/ Institute	Subjects
9	No. of Years of regular service				
10	Work Experience of last ten years (PI add Annexure)				
	S. No.	Post held on regular basis	From To	Nature of duties	Experience in Vigilance/ Disciplinary matters
11	Postal Address	Permanent:			
		Present:			
		Personal Contact no. and email ID:			
12	Certificate from the applicant:				
	I certify that the details furnished by me in the application form are correct to the best of my knowledge and belief and that I am eligible for the deputation post.				
	Date:				Signature of the applicant
	Place:				
13	Certificate from the Employer:				
	Certified that the particulars furnished by Shri/Smt/Ms..... have been verified and found to be correct and that no disciplinary proceedings are either pending or being contemplated against him/her. The integrity of the candidate is certified.				
	Signature & Designation of the competent forwarding authority and Office Seal				
	Date :	Telephone no.:			
	Place:	Email ID :			

Appointment to the posts of Chief Vigilance Officers (CVOs) in the Public Sector Banks, Public Sector Insurance Companies

Order of Preference & Undertaking

1.	Name of the Candidate	
2.	Date of Birth	
3.	Order of Preference of location for the post of CVO	
	Options are – Mumbai, Pune and New Delhi	
	Preference 1	
	Preference 2	
	Preference 3	
4.	<p><u>Undertaking by the applicant</u></p> <p>I have applied for the post of CVO in PSBs, PSICs & FIs in response to Government of India (Department of Financial Services) letter No. 15/1/2025-Vig. dated 22.06.2026. I hereby submit my undertaking that I shall not withdraw my application for candidature after my nomination/selection for appointment to the said post.</p> <p>Date: _____ Signature: _____ Place: _____ Name: _____</p>	
5.	<p><u>Forwarding by the Parent organisation</u></p> <p>The application and undertaking submitted by Shri/Smt. _____ Designation _____ who has applied for appointment to the post of CVO in PSBs and PSICs is hereby forwarded to the Department of Financial Services for consideration of his candidature.</p> <p align="right">Signature of Forwarding Authority and Office Seal</p>	
	Date: _____	Telephone no.: _____
	Place: _____	Email ID : _____

Appointment to the posts of Chief Vigilance Officers (CVOs) in the Public Sector Banks, Public Sector Insurance Companies

Details to be furnished by the Cadre Controlling Authority/Parent Office

i.	Name & designation of the officer		
ii.	Whether any disciplinary proceedings have been initiated against the officer during his career so far. If yes, whether it involved vigilance angle and whether any penalty imposed and also currency of penalty and details thereof.		
iii.	Whether any complaint including that of corruption against the officer which, in view of the State Government/ Cadre Controlling Authority may have a direct bearing/relevance on the vigilance status/ Integrity of the officer as on date, is pending against the officer. If so, details thereof.		
iv.	Whether any preliminary inquiry or any other vigilance related matter is pending against the officer. If so, full facts of the pending matter.		
v.	Whether any criminal proceedings were registered against the officer during his career so far. If so, details/present status and the final outcome thereof.		
vi.	Whether the name of the officer appears in the Agreed List or List of Officers of doubtful Integrity. If yes, full details may be given		
vii.	a) whether the officer is clear from vigilance angle		
	b) Whether integrity is certified or not		
viii.	a) Whether the officer has ever been debarred from deputation?		
	b) If yes, period of debarment		
ix.	APAR/ACR of the Candidate:		
	a)	APAR/ACRs complete up to 2024-25 available?	Yes/No
	b)	APAR/ACR for any year (in the last 05 years) not available	
	c)	Adverse entries (expunged /unexpunged) in ACR/APAR(s), if any?	Yes / No
		If yes, year-wise details thereof (pl. Annex)	
d)	ACR grading of the last 05 years	Year/ Period	Grading (out of 100)
		2020-21	
		2021-22	
		2022-23	
		2023-24	
		2024-25	
x.	List of Enclosures		
Signature of the Competent Authority certifying this proforma:			
Official Seal containing Name & Designation:			

सं. 15/1/2025-सतर्कता
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
सतर्कता अनुभाग

तृतीय तल, जीवन दीप भवन
संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
दिनांक: जून 22, 2026

सेवा में,

अध्यक्ष, एसबीआई, मुंबई
सीईओ और एमडी, एलआईसी, मुंबई
राष्ट्रीयकृत बैंकों (पीएसबी) के एमडी और सीईओ
ईडी, (प्रशासन और कार्मिक प्रबंधन विभाग), आरबीआई, मुंबई
एनएचबी/आईआईएफसीएल/आईएफसीआई लिमिटेड/सिडबी/एक्जिम बैंक/नाबार्ड

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

महोदया/महोदय,

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इन पदों से संबंधित विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं।

2. निकट भविष्य में रिक्त होने वाले सीवीओ के अस्थायी पदों का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

संगठनों की श्रेणी	क्र. सं.	संगठन का नाम	सीवीओ का स्थान
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	मुंबई
	2.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	पुणे

	3.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	मुंबई
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां (पीएसआईसी)	4.	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)	नई दिल्ली

*हालांकि, रिक्ति की स्थिति अस्थायी है और बाद में पदों में संशोधन/वृद्धि किया जा सकता है।

3. सीवीओ को स्वीकार्य वेतनमान/अनुलाभ जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

पीएसबी/पीएसआईसी/एफआई में तैनात सीवीओ को अपने मूल संगठन का मौजूदा वेतन और उस मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा। वे अदाता (बारोविंग) संगठन में अगले उच्च पद के लिए स्वीकार्य अनुलाभों के हकदार होंगे। तथापि, सीवीओ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से ठीक पहले, सीवीओ मूल संगठन में धारित पद में उनके लिए स्वीकार्य अधिकृत अनुलाभों का लाभ उठाना जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।

4. योग्यता:

(i) पीएसबी में सीवीओ की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड –

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/सिडबी/एक्विजिशन बैंक/आईआईएफसीएल के मुख्य महाप्रबंधक;
- (ग) पीएसएफआई में कार्यपालक निदेशक;

न्यूनतम 3 वर्ष की अवशिष्ट सेवा पश्चात, पीएसबी में सीवीओ के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ii) पीएसआईसी में सीवीओ की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड –

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक;
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक सहित) के डीजीएम के रूप में तीन वर्ष के अनुभव वाले उप महाप्रबंधक;
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/सिडबी/एक्विजिशन बैंक/आईआईएफसीएल के मुख्य महाप्रबंधक;
- (घ) पीएसएफआई में कार्यपालक निदेशक;
- (ङ) एलआईसी में कार्यपालक निदेशक/क्षेत्रीय प्रबंधक;

न्यूनतम 3 वर्ष की अवशिष्ट सेवा पश्चात, पीएसआईसी में सीवीओ के पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

iii. अधिकारी अपने मूल संगठन में सीवीओ के पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

5. चयन प्रक्रिया:

सीवीओ के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन सरकार द्वारा सीवीसी के परामर्श से, सेवा के रिकॉर्ड और चयन समिति के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, तीन (03) वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, किया जाएगा।

6. चयन करना:

अभ्यर्थियों को उन स्थानों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिनके लिए वे ऊपर पैरा 2 में सूचीबद्ध स्थानों में से आवेदन कर रहे हैं और आवेदन किए गए स्थानों के बीच वरीयता के क्रम को इंगित करें। अभ्यर्थियों को योग्यता और अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर जहां तक संभव हो, रखा जाएगा। तथापि, सरकार के पास इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है।

7. आवेदनों को अग्रेषित करना:

संबंधित संगठनों से अनुरोध है कि वे इच्छुक अधिकारियों के आवेदनों को संलग्न प्रारूप में उनके पूर्ण जीवनवृत्त के साथ, और पिछले पांच वर्ष के लिए उनकी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की सत्यापित प्रतियां (सभी मामलों में पूर्ण) यानी 2020-21 से 2024-25 तक इस विभाग को 20.07.2026 को या उससे पहले अग्रेषित करें। इसके अलावा, इच्छुक अधिकारियों के नाम अग्रेषित करते समय, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि:

क) इस कार्य को करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की सेवाओं को कम से कम 03 वर्षों के लिए छोड़ा जा सकता है; तथा

ख) आवेदक के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 20.07.2026 तक न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।

ग) अधिकारी के खिलाफ कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं होना चाहिए;

घ) प्रतिबंध की अवधि के अधीन अधिकारी का आवेदन इस विभाग को अग्रेषित नहीं किया जा सकता है;

ड) जिन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप उनके करियर में कोई बड़ी या छोटी शास्ति लगायी गयी है, वे सीवीओ के पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं और इस प्रकार, उनके आवेदन अग्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

8. इन पदों के लिए एक बार अग्रेषित किए गए उम्मीदवारों के आवेदन किसी भी परिस्थिति में वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, आवेदनों को विचारार्थ अग्रेषित करते समय, आवेदकों से इस आशय का वचन प्राप्त किया जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में सीवीओ के पद के लिए उन्हें नामित करने का निर्णय लिए जाने के बाद वे अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगे। इन पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करते समय, इस वचन पत्र की एक प्रति अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

9. इन पदों में से किसी एक के लिए अधिकारी के चयन की स्थिति में, संबंधित अधिकारी को आदेश प्राप्त होने की तारीख से सीवीओ के नए पद/असाइनमेंट में शामिल होने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि 15 दिनों के बाद कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, या यदि अधिकारी दी गई तारीख तक निर्दिष्ट स्थान पर असाइनमेंट के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो 05 साल की अवधि के लिए किसी भी संगठन में प्रतिनियुक्ति के लिए उसके प्रतिबंध की प्रक्रिया उसके मूल संगठन द्वारा संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के बाद शुरू की जाएगी। आवेदन के लिए प्रारूप अनुबंध [फॉर्म 1, 2, 3] में निर्धारित किए गए हैं।

10. इच्छुक अधिकारी इस संबंध में अपने आवेदन की अग्रिम प्रति vigilance-dfs@nic.in पर ईमेल द्वारा सूचना हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग को भेज सकते हैं। तथापि, उनकी उम्मीदवारी पर उनके आधिकारिक चैनल के माध्यम से आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

संलग्नक: निर्धारित प्रपत्र (03)

भवदीय,

Sanjay Jha

(संजय कुमार झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

ईमेल: sanjay.jha@nic.in

दूरभाष: 011-23748709

प्रतिलिपि: निदेशक/एनआईसी, को इस परिपत्र की एक प्रति वित्तीय सेवाएं विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पद पर नियुक्ति

आवेदन प्रपत्र

फोटोग्राफ

1.	आवेदक का नाम				
2.	जन्म तिथि				
3.	आवेदन की अंतिम तिथि को आयु				
4.	अधिवर्षिता की तिथि				
5.	वर्तमान धारित पद				
6.	संगठन का नाम जहाँ तैनात है				
7.	वर्तमान वेतन और वेतनमान				
8.	शैक्षिक और पेशेवर अर्हताओं का विवरण (कालक्रमानुसार)				कृपया अनुबंध लगाएं।
	वर्ष से	वर्ष तक	पाठ्यक्रम का नाम	बोर्ड/ कालेज/ विश्वविद्यालय/ संस्थान	विषय
9.	नियमित सेवा के वर्ष				
10.	पिछले दस वर्ष का कार्यानुभव (कृपया अनुबंध लगाएं।)				
	क्रम सं.	नियमित आधार पर धारित पद	से तक	दायित्वों का स्वरूप	सतर्कता /अनुशासनात्मक मामलों में अनुभव
11.	डाक का पता	स्थायी: वर्तमान: व्यक्तिगत संपर्क नंबर और ई मेल आईडी			
12.	आवेदक से प्रमाण पत्र:				

	<p>मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन फार्म में मेरे द्वारा दिया गया ब्यौरा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं प्रतिनियुक्ति के इस पद के लिए पात्र हूँ।</p> <p>तारीख: स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर</p>
13.	<p>नियोक्ता से प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीद्वारा प्रस्तुत ब्यौरे की जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है और यह कि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही ना तो लंबित है, ना ही विचाराधीन है। आवेदक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।</p> <p>अग्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम और कार्यालय की मुहर</p>
	<p>तिथि : दूरभाष सं: स्थान: ईमेल आई डी :</p>

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पद पर नियुक्ति

वरीयता क्रम और शपथ-पत्र

1.	आवेदकका नाम	
2.	जन्म तिथि	
3.	मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद का वरीयता क्रम *विकल्प हैं - मुम्बई, चेन्नई	
	वरीयता 1	
	वरीयता 2	
4.	<p><u>आवेदक द्वारा शपथ पत्र</u></p> <p>मैंने भारत सरकार (वित्तीय सेवाएं विभाग) के 22 जून, 2026 के पत्र संख्या 15/1/2025- सतर्कता के उत्तर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में सीवीओ के पद के लिए आवेदन किया है। मैं, एतद्वारा, यह शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूं कि मैं उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपने नामांकन/चयन के पश्चात उम्मीदवारी से संबंधित अपना आवेदन वापस नहीं लूंगा।</p> <p>तिथि: _____ हस्ताक्षर : _____</p> <p>स्थान: _____ नाम : _____</p>	
5.	<p><u>मूल संगठन द्वारा अग्रेषण</u></p> <p>श्री/श्रीमती..... पदनाम....., जिन्होंने पीएसबी, पीएसआईसी और एफआई में सीवीओ के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, द्वारा प्रस्तुत आवेदन और शपथ पत्र को उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग को अग्रेषित किया जाता है।</p> <p>अग्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर</p> <p>तिथि: _____ दूरभाष सं. : _____</p> <p>स्थान: _____ ईमेल आईडी: _____</p>	

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के पद पर नियुक्ति

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी/मूल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ब्यौरे

i.	<u>अधिकारी का नाम और पदनाम:</u>		
ii.	क्या आज की तारीख तक अधिकारी के करियर के दौरान उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। यदि हाँ, तो क्या इसमें सतर्कता से संबंधित मामला शामिल है और क्या कोई शास्ति लगाई गई है और जारी शास्ति और उससे संबंधित ब्यौरे।		
iii.	क्या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित कोई शिकायत लंबित है, जो राज्य सरकार/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की दृष्टि में आज की तारीख में अधिकारी की सतर्कता स्थिति/उसकी सत्यनिष्ठा पर प्रत्यक्ष प्रभाव/प्रासंगिकता रखता है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।		
iv.	क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रारंभिक जांच या सतर्कता संबंधी कोई अन्य मामला लंबित है। यदि हाँ, तो लंबित मामले का पूरा ब्यौरा दें।		
v.	क्या अधिकारी के अब तक के करियर के दौरान उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही दर्ज की गई थी। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा/वर्तमान स्थिति और अंतिम परिणाम का विवरण दें।		
vi.	क्या अधिकारी का नाम सहमत सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में है। यदि हाँ, तो पूरा ब्यौरा दिया जाए		
vii.	क) क्या अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से दोषमुक्त है		
	ख) सत्यनिष्ठा प्रमाणित है या नहीं		
viii.	क) क्या अधिकारी को कभी प्रतिनियुक्ति से वंचित किया गया है?		
	बी) यदि हाँ, तो वंचित होने की अवधि		
ix.	<u>उम्मीदवार का एपीएआर/एसीआर:</u>		
क)	वर्ष 2024-25 तक पूर्ण एपीएआर/एसीआर उपलब्ध है?	हाँ/नहीं	
ख)	किसी भी वर्ष का एपीएआर/एसीआर (पिछले 05 वर्षों में) उपलब्ध नहीं है		
ग)	एसीआर/एपीएआर(ओं) में प्रतिकूल प्रविष्टियां (निकाली गई/नहीं निकाली गई), यदि कोई हो?	हाँ/नहीं	
	यदि हाँ, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा (कृपया अनुबंध लगाए)		
घ)	पिछले 05 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग	वर्ष / अवधि	ग्रेडिंग (100 में से)
		2020-21	
		2021-22	

		2022-23	
		2023-24	
		2024-25	
x.	संलग्नकों की सूची		
इस प्रोफार्मा को प्रमाणित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर: नाम और पदनाम वाली आधिकारिक मुहर:			